उत्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957 {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1958}

THE UTTAR PRADESH HOUSE SITES (FLOOD AFFECTED AREAS) (TEMPORARY POWERS) ACT, 1957

[U. P. ACT NO. III OF 1958]

उत्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957¹ [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1958]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 52, 1976 द्वारा यथासंशोधित)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1957 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1957 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 19 जनवरी, 1958 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1958 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह—स्थलों के अविरत अध्यासन के निमित्त व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

बाढ़ पीडित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह—स्थलों के अविरत अध्यासन (continued occupation) की व्यवस्था करने के निमित्त, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 13 के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ़ पीडित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, 1957 प्रख्यापित किया था:

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मण्डल के एक अधिनियम की व्यवस्था की जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) $\{***\}^2$

2-- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

- (1) ''केन्द्रीय सरकार'' का वही अर्थ होगा, जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 की धारा 3 में शब्द सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दिया गया।
- (2) ''बाढ़ पीड़ित क्षेत्र'' का अर्थ है, ऐसा क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय—समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे;
- (3) ''विज्ञापित दिनांक'' (notified date) तथा ''विज्ञापित अवधि'' (notified period) का अर्थ है, ऐसा दिनांक तथा ऐसी अवधि, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे;
- (4) ''नियत'' का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत है; तथा
 - (5) ''राज्य सरकार'' का अर्थ उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 3 दिसम्बर, 1957 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 20 वर्ष 1982 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।

रित्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ पीडित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957}

धारा 3–6}

3—— (1) यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र में विज्ञापित अवधि में बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाय तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह—स्थलों के अविरत अध्यासन के संबंध में घोषणा

(2) बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वे सब गृह—स्थल, जिनके घर वर्षा अथवा बाढ़ के कारण पूर्णतः अथवा अंशतः गिर गये हों या क्षत (damage) हो गये हों और जो किसी संविदा, रूढ़ि अथवा प्रथा के अनुसार, विज्ञापित दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा भवन—निर्माण के प्रयोजनों से अधिकृत (held) अथवा अध्यासित (occupied) हों, उस व्यक्ति द्वारा उन प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो नियत किये जायं, अधिकृत अथवा अध्यासित बने रहेंगे, भले ही इसके विरूद्ध कोई संविदा, रूढ़ि या प्रथा अथवा विधि के उपबन्ध हों :

प्रतिबन्ध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित (remodelled) कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी।

- (3) इस अधिनियम की कोई भी बात उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों को, जिनके अधीन गृह—स्थल मूलतः अधिगृहीत अथवा अध्यासित किया गया था, प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय उस मात्रा तक कि जिस तक कि इस अधिनियम के अधीन अध्यासी को गृह—स्थल पर अधिकार अथवा अध्यासन बनाये रखने और साथ ही साथ अपने घर की मरम्मत अथवा उसका पुनः प्रतिरूपण या पुनः निर्माण करने का स्वामित्व हो।
- 4— इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह—स्थलों पर लागू न होगी, जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो।
- 5—— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष कम से कम 14 दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे. जो विधान मण्डल उनमें करे।

6— उत्तर प्रदेश गृह—स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, 1957 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 तथा धारा 24 के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 3, 1957 का निरसन

यू0पी0 ऐक्ट 1, 1904

THE UTTAR PRADESH HOUSE SITES (FLOOD AFFECTED AREAS) (TEMPORARY POWERS) ACT, 1957¹

[U. P. ACT NO. III OF 1958]

(As amended by U. P. Act No. 52 of 1976)

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 12, 1957 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 20, 1957.

Received the assent of the President on January 19, 1958 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated January 22, 1958.]

AN

ACT

to provide for the continued occupation of house sites by the existing occupants thereof in areas affected by floods.

Whereas the Uttar Pradesh House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Ordinance, 1957 was promulgated by the Governor under Article 213 of 'the Constitution of India' to provide for the continued occupation of house sites by the existing occupants in areas affected by the floods;

And whereas it is expedient that the said Ordinance be replaced by an Act of the Legislature;

It is hereby enacted in the Eighth Year of the Republic of India as follows

Short title, extent and commencement

1-

2-

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Act, 1957.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

 $(3) [***]^2$

Definitions

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (i) "Central Government" shall have the meaning assigned to it in section 3 of the General Clauses Act, 1857;
- (ii) "flood affected area" means such area as the State Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, specify in this behalf;
- (iii) "notified date" and "notified period" means such date and such period as the State Government may by notification in the official Gazette, specify in this behalf;
 - (iv) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act, and
 - (v) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh.
- 1. For Statement of Objects and Reasons see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 3, 1957.
- 2. Omitted by section 26 of U.P. Act No. 20 of 1982.

[The Uttar Pradesh House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Act, 1957] [Section 3-6]

Declaration regarding continued occupation of house sites by existing occupants in flood-affected areas

- 3- (1) If in the opinion of the State Government it is necessary or expedient to rehabilitated persons affected by floods during the notified period in any area it may, by a notification in the official Gazette, declare such area to be flood affected area.
 - (2) All house sites in a flood area, held or occupied, on the notified date, for building purposes by any person in pursuance of any contract, custom or usage, the houses whereon have completely or partially fallen down or damaged owing to rains or floods, shall continue to be held or occupied by such persons, for such purposes subject to such terms and conditions as may be prescribed, any contract, custom or usage or provisions of any law to the contrary, notwithstanding:

Provided that the house shall be reconstructed, remodeled or repaired by the holder or occupier of the house site within a period of one year or such further period as may by State Government be fixed by notification in the official Gazette.

- (3) Nothing in this Act shall affect the terms and conditions under which the house site was originally held or occupied except in so far as under this Act the holder or occupier has been given the right to continue to hold or occupy the house site as well as to repair, remodel or reconstruct his house.
- 4- Nothing in this Act shall apply to house sites owned by the Central Government or the State Government or any Local Authority.
- 5- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
 - (2) All rules made under this Act shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make.

Repeal of U.P. Ordinance no. III of 1957 U.P. Act no. 1 of 1904 The Uttar Pradesh House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Ordinance, 1957 is hereby repealed and the provisions of sections 6 and 24 of the U.P. General Clauses Act, 1904 shall apply to it as if it had been an enactment repealed by an U.P. Act.